

प्राथमिक पर्चा-डिक्री

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- पदमपुरा
न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद पत्र सं0 : 256 सन 2017

अनवान :-

1. साहबराम पु हरदयाल जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
वादी

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद 2 रामकुमार 3 सन्तलाल पि0 हरदयाल जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर ।
- 4 हरिसिंह 5 ओमप्रकाश 6. राजेन्द्र पि0 सुरजाराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर ।
7. सुन्दरदेवी पत्नि दाताराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
8. फुलीदेवी पत्नी महावीरसिंह जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
9. महेन्द्रसिंह पुत्र जीराम जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
- 10 चानणराम पुत्र जीराम जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
- 11 कृष्ण कुमार 12 सुभाष पि0 बेगराज जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
13. सुरतसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
14. महावीरसिंह 15 लिलाधर पि0 अमरसिंह जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. लालचद 17 मुखराम पि0 आदराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
18. पप्पु पुत्र नारायणी पुत्री आदराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
19. शान्ति देवी जोजा सन्तलाल जाति ब्रह्मण निवासी जनानिया तहसील नोहर।
- 20 रामलाल पुत्र नारायण सिंह जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
- 22 उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 256 सन 2017 निर्णय दिनांक 08.05.2018

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी / अधिवक्ता प्रतिवादी व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 139/31 की 8.8550हैक्, खाता संख्या 140/138 की 4.8050हैक्, खाता संख्या 141/139 की 5.5430हैक्, खाता संख्या 102/82 की 15.1750हैक् भूमि में वादी /प्रतिवादीगण के हक हिस्सा मुताबिक किस्म भूमि /कब्जा काश्त के अनुसार अच्छी में से अच्छी व माडी में से माडी एवं कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तजबीज तकसीम की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे तथा मौका कमीश्नर फीस 1000/- तय की जाती है जो वादी के द्वारा तय की जावेगी। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

S. Jaidi
शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-पदमपुरा

प्राथमिक पर्चा-डिक्री

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- पदमपुरा
न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद पत्र सं0 : 256 सन 2017

अनवान :-

1. साहबराम पु हरदयाल जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
वादी

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद 2 रामकुमार 3 सन्तलाल पि0 हरदयाल जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर ।
- 4 हरिसिंह 5 ओमप्रकाश 6. राजेन्द्र पि0 सुरजाराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर ।
7. सुन्दरदेवी पत्नि दाताराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
8. फुलीदेवी पत्नी महावीरसिंह जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
9. महेन्द्रसिंह पुत्र जीराम जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
- 10 चानणराम पुत्र जीराम जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
- 11 कृष्ण कुमार 12 सुभाष पि0 बेगराज जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
13. सुरतसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
14. महावीरसिंह 15 लिलाधर पि0 अमरसिंह जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. लालचद 17 मुखराम पि0 आदराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
18. पप्पु पुत्र नारायणी पुत्री आदराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
19. शान्ति देवी जोजा सन्तलाल जाति ब्रह्मण्य निवासी जनानिया तहसील नोहर।
- 20 रामलाल पुत्र नारायण सिंह जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
- 22 उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।


प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 256 सन 2017 निर्णय दिनांक 08.05.2018

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी / अधिवक्ता प्रतिवादी व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 139/31 की 8.8550हैक्, खाता संख्या 140/138 की 4.8050हैक्, खाता संख्या 141/139 की 5.5430हैक्, खाता संख्या 102/82 की 15.1750हैक् भूमि में वादी /प्रतिवादीगण के हक हिस्सा मुताबिक किस्म भूमि /कब्जा काश्त के अनुसार अच्छी में से अच्छी व माडी में से माडी एवं कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तजबीज तकसीम की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे तथा मौका कमीशनर फीस 1000/- तय की जाती है जो वादी के द्वारा तय की जावेगी। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।


शिविर प्रभारी

राजस्व लोक अदालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोर्ट-पदमपुरा